

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09092025-266017
SG-DL-E-09092025-266017

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268]	दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 2025/भाद्र 17, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 214
No. 268]	DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 2025/BHADRA 17, 1947	[N. C. T. D. No. 214

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 8 सितम्बर, 2025

संख्या 06/2025-राज्य कर (दर)

फा.सं. 3(20)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/862—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप-धारा (3) और (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की अनुशंसाओं पर एतद् द्वारा दिनांक 30-06-2017 की फा0सं0 3(15)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/ डीएस-VI/380 के द्वारा दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग IV की धारा 3 की उप-धारा (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर) में निम्नलिखित और अधिक संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

(i) उक्त अधिसूचना में, तालिका में, -

- (क) क्रम संख्या 25क के सामने, कॉलम (3) में, जहां कहीं भी शब्दों "पारेषण और वितरण" आते हैं, के स्थान पर शब्दों "पारेषण या वितरण" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) क्रम संख्या 36क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"36ख	शीर्षक 9971 या शीर्षक 9991	मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 164ख के अंतर्गत गठित मोटर वाहन दुर्घटना निधि द्वारा मोटर वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा के लिए एकत्रित प्रीमियम में से बीमाकर्ताओं द्वारा किए गए अंशदान के विरुद्ध प्रदान की जाने वाली बीमा सेवाएं।	शून्य	शून्य"

- (ग) क्रम संख्या 69 के सामने, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(च) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण साझेदार, "

- (ii) उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में,

(क) मद (ब) को 1 अप्रैल, 2025 से विलोप कर दिया जाएगा;

(ख) मद (यज) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(यजक) "बीमाकर्ता" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 की उपधारा (9) में यथाविनिर्दिष्ट है।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके के नाम पर,
मंगेज सिंह, उप सचिव (वित्त)

टीप:- मूल अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 30.06.2017 की फा0 सं0 3 (15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/380 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV की धारा 3 की उपधारा (i) में प्रकाशित की गई थी तथा जो अंतिम बार दिनांक 14.05.2025 की फा0 सं0 3 (03)/वित्त (व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/420 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV की धारा 3 की उपधारा (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 08/2024-राज्य कर (दर) द्वारा संशोधित की गयी थी।

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 8th September, 2025

No. 06/2025-State Tax (Rate)

F. No. 3 (20)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 862— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend the notification number 12/2017-State Tax (Rate) published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub-section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated 30-06-2017, namely:-

(i) In the said notification, in the table, -

(A) against serial number 25A, in column (3), for the words “transmission and distribution” wherever occurring, the words “transmission or distribution” shall be substituted;

(B) after serial number 36A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“36B	Heading 9971 or Heading 9991	Services of insurance provided by the Motor Vehicle Accident Fund, constituted under section 164B of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), against contributions made by insurers out of the premiums collected for third party insurance of motor vehicles.	Nil	Nil”

(C) against serial number 69, in the entry in column (3), after item (e), the following item shall be inserted, namely :-

“(f) a training partner approved by the National Skill Development Corporation,”

(ii) in paragraph 2 of the said notification,

(A) item (w) shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2025;

(B) after item(zj), the following item shall be inserted, namely: -

“(zja) “insurer” has the same meaning as assigned to it in sub-section (9) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).”.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor,
National Capital Territory of Delhi,
MANGEJ SINGH, Dy. Secy. (Fin.)

Note: The principal notification number 12/2017 –State Tax (Rate), was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated 30/06/2017 and last amended *vide* notification number 08/2024-State Tax (Rate) published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (03)/Fin(Exp-I)/2025-26/DS-I/420, dated 14/05/2025.